रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032020-218621
CG-DL-E-12032020-218621

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] **नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 4, 2020/फाल्गुन 14, 1941**
No. 132] **NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 4, 2020/PHALGUNA 14, 1941**

ikr ifjogu e=ky;

vf/klpuk

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2020

lk-dk-fu- 152¼v½.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग, विकास पक्ष (समूह 'क' और समूह 'ख' अभियांत्रिकी पद) भर्ती नियमों, 2008 का अधिक्रमण में, जहां तक इनका संबंध उप निदेशक (अभियांत्रिकी) और सहायक निदेशक (अभियांत्रिकी) के पदों से है, इस प्रकार के अधिक्रमण से पहले किये गये अथवा करने के लिए छोड़े गये कार्यों को छोड़कर, पोत परिवहन मंत्रालय में उप निदेशक (अभियांत्रिकी) और सहायक निदेशक (अभियांत्रिकी) के पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को पोत परिवहन मंत्रालय, विकास पक्ष उप निदेशक (अभियांत्रिकी) और सहायक निदेशक (अभियांत्रिकी) के भर्ती नियम, 2020 कहा जायेगा।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. अनुप्रयोग.—ये नियम इन नियमों के साथ अनुबंधित अनुसूची के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इनसे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा, जो उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति;

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, से विवाह किया है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रावधान करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	यह चयन पद है अथवा गैर–चयन पद	सीधी भर्ती अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप–निदेशक (अभियांत्रिकी)	02* (2020) *कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन के अधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा, गैर–लिपिकीय, राजपत्रित समूह 'क'	लेवल 11 (67700–208700 रू.)	चयन पद	लागू नहीं

सीधी भर्ती अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक शौक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु और शौक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, क्या यह सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन के माध्यम से है और विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से भरी जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत क्या है?
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(i) पचास प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसमें असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि करार सहित) (ii) पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि करार सहित)

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन से नियुक्ति के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है	किन परिस्थितियों में नियुक्तियां करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना है
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति लेवल 7 में वेतन मैट्रिक्स (44900 – 142400 रू.) में इस ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ सहायक निदेशक (अभियंता) जिसे सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त है; और जिसने पत्तन प्रबंधन या पत्तन प्रचालन या उपस्कर रखरखाव या किसी अन्य प्रासंगिक क्षेत्र में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से एक सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। fVIi.kh % जहां अर्हता या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ कार्मिकों के मामले पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है, वहां उनके वरिष्ठ कार्मिकों पर भी पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा की अवधि ऐसी दो वर्ष की अर्हता या पात्रता सेवा, जो भी कम हो, की अवधि की तुलना में आधी से कम न हो, और उन्होंने	समूह 'क' और 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल हैं: अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष संयुक्त सचिव (प्रशासन), पोत परिवहन मंत्रालय – सदस्य विकास सलाहकार (पत्तन), पोत परिवहन मंत्रालय – सदस्य निदेशक (अभियांत्रिकी), पोत परिवहन मंत्रालय, विकास स्कंध – सदस्य	पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि करार सहित) दोनों मामलों में संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

ऐसी योग्यता पात्रता सेवा पहले ही पूरी करने वाले अपने कनिष्ठ कार्मिकों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। i.frfu;fDr (अल्पावधि करार सहित): केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासनों या महापत्तनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों के अंतर्गत कार्यरत ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समान पद धारित करते हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (56,100 – 1,77,500 रू.) में लेवल 10 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड या समान ग्रेड में पांच वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि; (ii) (क) हार्बर इंजीनियरिंग सहित सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव; अथवा (ख) किसी मैकेनिकल या मरीन वर्कशॉप अथवा संगठन में विभिन्न प्रकार की क्रेनों, डीजल लोकोज, मरीन इंजिनों, विंचों और सहायक यंत्रों के रखरखाव एवं प्रचालन के क्षेत्रों में पांच वर्षों का अनुभव। fVIi.kh 1.– फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो सीधे पदोन्नति क्रम में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों के संबंध में पदोन्नति पर नियुक्त करने पर विचार नहीं किया जाएगा। fVIi.kh 2.– प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि करार सहित) की अवधि, इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व केंद्र सरकार के किसी समान या अन्य संगठन या विभाग में धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि करार सहित) सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। fVIi.kh 3.– प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि करार सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (अभियांत्रिकी)	02 (2020)* *कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन के अधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा, गैर–लिपिकीय राजपत्रित समूह 'ख'	लेवल 7 (44900–142400 रू.)	लागू नहीं	अधिकतम तीस वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को पांच वर्षों की छूट) fVIi.kh % आयु–सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित किये गये अनुसार होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
vfuok;Z% (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सिविल इंजीनियरिंग या मेकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री; तथा (ii) निम्नलिखित में दो वर्षों का अनुभव : (क) सिविल इंजीनियरिंग कार्य जिनमें हार्बर इंजीनियरिंग कार्य शामिल हैं, का डिजाइन, निर्माण एवं रखरखाव; या (ख) किसी मैकेनिकल या मरीन वर्कशॉप अथवा संगठन में विभिन्न प्रकार की केनों, डीजल लोकोज, मरीन इंजिनों, विंचों और सहायक यंत्रों का रखरखाव एवं प्रचालन।	लागू नहीं	दो वर्ष	lh/kh Hkrh }kjk पदधारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर होने या लंबी बीमारी अथवा अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत एक वर्ष या उससे अधिक के कारण हुई रिक्तियों को केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है जो : (क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करते हैं; तथा (ख) कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती अभ्यार्थियों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। fVIi.kh 1.– फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो सीधे पदोन्नति कम में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों के संबंध में पदोन्नति पर नियुक्त करने पर विचार नहीं किया जाएगा। fVIi.kh 2.– प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि करार सहित) की अवधि, इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व केंद्र सरकार के किसी समान या अन्य संगठन या विभाग में धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि करार सहित) सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित शामिल हैं: 1. विकास सलाहकार (पत्तन), पोत परिवहन मंत्रालय – अध्यक्ष 2. निदेशक अथवा उपसचिव (प्रशासन), पोत परिवहन मंत्रालय – सदस्य 3 निदेशक (अभियांत्रिकी), पोत परिवहन मंत्रालय – सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं.अ-12018/3/2016-स्थापना]

लुकास एल कामसुआन, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, 3rd March, 2020

G.S.R. 152(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping, Development Wing (Group 'A' and Group 'B' Engineering Posts) Recruitment Rules, 2008 in so far as they relate to the posts of Deputy Director (Engineering) and Assistant Director (Engineering), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Director (Engineering) and Assistant Director (Engineering) in the Ministry of Shipping namely :-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Shipping, Development Wing Deputy Director (Engineering) and Assistant Director (Engineering) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.-These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.-The number of posts, their classification and level in the pay matrix relating thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification-No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Deputy Director (Engineering).	02* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group A.	Level 11 (Rs. 67,700-2,08,700).	Selection post.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.
(10)	(11)
(i) Fifty percent by promotion failing which by deputation (including short-term contract); (ii) fifty percent by deputation (including short-term contract).	**Promotion:** Assistant Director (Engineering) in level 7 (Rs. 44,900-1,42,400) in the pay matrix with seven years regular service in the grade possessing Bachelors degree in Civil Engineering or Mechanical Engineering and successfully completed one-week training programme in port management or port operation or equipment maintenance or any other relevant field from the Indian Maritime University. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service of two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying eligibility service. **Deputation (including short-term Contract):** Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Major Ports or public sector undertakings, or autonomous bodies or Universities or recognized research organisations- (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 10 (Rs. 56,100-1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelors degree in Civil or Mechanical Engineering from a recognised University or Institute; and (ii) five years experience in the field of:- (a) design, construction and maintenance of civil engineering works including harbour engineering; or (b) maintenance and operation of different types of cranes, diesel locos, marine engines, winches and auxiliary machinery in a mechanical or marine workshop or organisation.

	Note 1.-The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-**The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3.-The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

If, a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' and 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairperson Joint Secretary (Administration), Ministry of Shipping - Member Development Adviser (Ports), Ministry of Shipping - Member Director (Engineering), Ministry of Shipping**,** Development Wing- Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary in both cases of Promotion and Deputation (including short-term contract).

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Director (Engineering).	02 (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial,Gazetted, Group 'B'.	Level 7 (Rs 44,900-1,42,400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Bachelor degree in Civil Engineering or Mechanical Engineering from a recognized University or Institute; and (ii) two years' experience in-	Not applicable.	Two years.	**By direct recruitment:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central

(a) design, construction and maintenance of civil engineering works including harbour engineering works; or (b) maintenance and operation of different types of cranes, diesel locos, marine engines, winchester and ancillary machines in a mechanical or marine workshop or Organisation.			Government,- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7). **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.	If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Development Adviser (Ports), Ministry of Shipping - Chairperson 2. Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Shipping - Member 3. Director (Engineering), Ministry of Shipping - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

[F.NO. A-12018/3/2016-ESTT.]

LUCAS L KAMSUAN, Jt. Secy. (Admn.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.12 21:46:45 +05'30'